संख्या: 4865/21-90-1121/90

प्रेषक,

प्रदीप चन्द्र शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
(4) समस्त निगमों/परिषदों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक ।

भाषा अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 19 अक्टूबर, 1990

विषय:- सरकारी कार्यों में द्वितीय राजभाषा उर्दू का कतिपय विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रयोग ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उर्दू भाषा भाषियों के हित में उत्तर प्रदेश राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 द्वारा उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में धारा-2 के पश्चात् धारा-3 बढ़ाकर कतिपय प्रयोजनों के लिये उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया जा चुका है ।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा -3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 4171/21-89-1-1990 दिनांक 7 अक्टूबर, 1989 द्वारा द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग राज्य में निम्नलिखित सात प्रयोजनों के लिये अधिसूचित किया गया है :-

1- उर्दू में अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका निपटान ।
2- उर्दू में लिखित दस्तावेजों को नियन्त्रण कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जाना ।
3- महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन ।
4- सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों का उर्दू में भी जारी किया जाना ।

पृष्ठ 2--

5- महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन ।
6- बजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन ।
7- महत्वपूर्ण सर्किल पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन ।

3. अधिनियम की एक प्रति मुनन संदर्भ हेतु आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है ।

संलग्न : यथोपरि ।

भवदीय,

प्रवीण चन्द्र गर्ग
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सं0 4865/II/21-90-1121/90, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2- सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी ।
3- समस्त मंत्रिगणों के निजी सचिव ।
4- निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ ।
5- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद ।
6- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
7- सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
11- उत्तर प्रदेश अधिवक्ता के समस्त अधिकारी ।
12- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(जय दयाल पुरी)
संयुक्त सचिव ।